एक नजर

हमले के बाद दुकान में तोडफोड़

इंदौर। तेजाजीनगर पुलिस ने सरदार पटेल निवासी नाथा मुडला की रिपोर्ट पर सद्दाम, सोहेल और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुलजिमों ने सरदार पटेल के साथ मारपीट की और उसकी दुकान में तोडफोड़ कर दी। पुराने झगड़े को लेकर कहासुनी हुई थी। राजेंद्रनगर पुलिस ने अखिल यादव की रिपोर्ट पर कमल कोरे के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुलजिम ने रास्ते में रोका और उसके साथ मारपीट कर मौके से भाग निकला। अस्पताल से रुपए लाई के मांगने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी और मारपीट की गई।

31 पेटी शराब के साथ पकड़ाया

इंदौर। हनीका शराब माफियाओं के साथ पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत का आरोप लगता है। कहा तो यह भी जाता है कि माफियाओं के इशारे पर ही विदेशी शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की जाती है। शहर में बड़ी तादाद में शराब की माफियागिरी होती है, चाहे अंग्रेजी शराब से बाटेंगी। इव सभी पर माफियागिरी होती है। जो भी हो अभी तो आबकारी विभाग ने बंदरीकोर पिता जगन्नाथ पुरवार निवासी दुधिया से 14 पेटी शराब ब्लेक टेबी मार्टिन, दो पेटी विदेशी मार्टिन और 143 लीटर मार्टिन जब्त की। वहीं तांति पोल्ट्री फार्म नेमावर रोड के चौधरीवाड़ा नाहरसिंह पिता सुकलाल से 15 पेटी शराब जब्त की। लक्ष्मीकांत राजोरके, देवेंद्र शर्मा, सतीष सिंह, सतेज गोपरगावकर, सुरेश चौहान, सुकेश रावत, तरुण जाट, रमेश पालीवाल, विपुल सक्षे, लोकिराज सिंह की भूमिका प्रमुख रही। इस कार्रवाई में राजनारायण सोनी, राजीव द्विवेदी का मार्गदर्शन रहा।

हथियार लेकर घूमते गिरफ्तार

इंदौर। पुलिस कंट्रल कंत्रोलरी ने स्वीपरपाला पुल दौलतगंज से गौरव निवासी तेजाजी बड़वाई को हथियार लेकर घूमते गिरफ्तार किया। एसआईजी पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश देते हुए सीतानामा मार्ट के पास रास्ता का बनीया से सतीर पिता अरत मोरने निवासी बैकरी गली पारनीपुल, कालवाल गोरात के पास संजय गांधी नगर से सतीर पिता बिरजु को घातक हथियार के साथ पकड़ा। इसी तरह आजाद नगर पुलिस ने देशी कलाली के सामने मुहारदेवी से सोनू रावकवार निवासी सीताराम पार्क कालोनी को छुरे के साथ गिरफ्तार किया।

ठेला लगाने की बात पर चाकू मारा

इंदौर। मालगंज चौराहे पर ठेला लगाने की बात को लेकर दो लुटेरे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस मल्हारगंज ने बताया कि लोधा कालोनी छत्रीपुरा में रहने वाले हर्ष चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और संजय नवानी मालगंज चौराहे पर ठेला लगाते है। संजय आए दिन उससे विवाद करता है। कल भी संजय ने ठेला नहीं लगाने दिया और गालीगलौज की। जब मैंने इसका विरोध किया तो संजय ने लोहे के बांट से मुझे मारा और जेब से चाकू निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। हमले में हर्ष बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर संजय के खिलाफ केस दर्ज किया।

दो युवकों ने युवती से दोस्ती की जबरन संबंध बनाकर वीडियो बनाए

ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने पुलिस की मदद ली

इंदौर। दो युवकों से एक युवती से पहले दोस्ती की फिर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और फिर युवती को उसे वायरल करने की धमकी देने लगे। युवकों ने उसे ब्लैकमेल कर ना सिर्फ कई बार दुष्कर्म किया, उससे रुपए भी मांगे। रुपए नहीं देने पर उन्होंने अपशब्द कहते हुए धमकी भी दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों सहित दोस्ती कराने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज किया है।

विजय नगर पुलिस के अनुसार 32 की युवती ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी। पीड़ित की शिकायत पर इमरान, आरिफ और एक युवती के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। युवती के अनुसार युवकों से उसकी दोस्ती शीतल नगर में रहने वाली एक परिचित युवती के जरिए हुई थी। इस दौरान मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान हुआ और फिर बातें होने लगीं। दोस्ती ज्यादा बढ़ी तो मेल-मिलाप भी शुरू हो गया। अक्टूबर 2019 में जब वह आरोपियों से मिली तो उन्होंने धोखे से जबरन संबंध बनाए। इस दौरान उन्होंने उसका वीडियो भी बना लिया। आरोपी इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल करने लगे। धमकाकर इन्होंने कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं इन्होंने रुपयों की मांग भी की। मैंने रुपए देने से इनकार किया तो अपशब्द कहते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए अपशब्द भी कहे। उनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पुलिस को शिकायत की।

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया था कि अनावेदक मो0 इमरान टिगाला पिता मो0 हनीफ टिगाला निवासी आजाद नगर, आरिफ खान पिता अफीस खान निवासीन्यू आजाद नगर इंदौर व शीतल जैन द्वारा, प्रकरण की आवेदिका को पैसों की लालच में ब्लेकमेल करने की नियत से योजनाबद्ध तरीके से अपने जाल में फंसाया गया तथा आरोपी आरिफ ने जबरदस्ती संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाया कर युवती को ब्लेकमेल किया जिसमें दोनों सह आरोपियों ने आशयपूर्वक उसकी मदद की।

पुराने विवाद में महिला से मारपीट

इंदौर। ग्राम झलारिया में दो महिलाओं के बीच इतना विवाद बढ़ा कि एक महिला के पति ने दूसरी महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की।

पुलिस कनाडिया ने बताया कि चौधरी मोहल्ला ग्राम झलारिया में रहने वाली रीमा बाई चौकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पड़ोस में रहने वाली एक महिला से पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद पड़ोस में रहने वाली महिला का पति कन्हैयालाल चौधरी को गुस्सा आ गया और वह मेरे घर में घुस गया और गालीगलौच करने लगा। जब मैंने गाली देने से मना किया तो कन्हैयालाल ने मुझ पर ल से हमला किया। हमले में मेरे दोनों पैर और जांघ में चोट आई। पुलिस ने रीमा बाई की शिकायत पर कन्हैयालाल के खिलाफ चार धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।

नकबजनी करने वाला अंतरर्राज्जीय बदमाश रिमांड पर

इंदौर। क्राइम ब्रांच इन्दौर की टीम ने शातिर एवं कुख्यात नकबजन किशोर पिता अंतर सिंह राठौर उम्र 45 साल नि. 393 भवानी नगर बाणगंगा इंदौर को पकड़ा था जिसको अग्रिम कार्यवाही हेतु जूनी इंदौर पुलिस के सुपुर्द किया था अतः आरोपी का माननीय न्यायालय से 01 दिवस का पुलिस रिमाण्ड जूनी इंदौर पुलिस द्वारा लिया गया है। आरोपी से अब तक इंदौर शहर की कुल 05 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हो चुका है।

आरोपी के विरूद्ध इंदौर तथा उज्जैन शहर से 10 स्थाई वारण्ट अलग अलग मामलों में जारी हुये है जिनमें वह वांछित था तथा कुछ वारण्ट कई वर्षो से लंबित है। इसके अलावा म0प्र0 के बाहर महाराष्ट्र राजस्थान व गुजरात में भी आरोपी के विरूद्ध लगभग 20 स्थाई वारण्ट जारी हुये हैं जिनमें वह वांछित था। इस प्रकार पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी के विरूद्ध लगभग 80 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है जिनमें करीबन 30 मामलों में अरोपी के विरूद्ध स्थाई वारण्टी जारी हुये हैं। आरोपी से लगभग 125 ग्राम सोना व लगभग 350 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। आरोपी किशोर इंदौर शहर के अलावा मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में भी नकबजनी करता रहा है।

दस दिन की नवजात को बेचने का मामला...

दो बच्चे और बरामद, तीन की गिरफ्तारी

इंदौर। दस दिन की नवजात का सौदा सवा लाख रुपए में करने के मामले में पकड़ाए युवक-युवती से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। दोनों की निशानदेही पर एक महिला से दो बच्चे और बरामद किए हैं। वहीं, इसकी साथी महिला और पुरुष को भी हिरासत में लिया है। इस तरह अब तक पांच लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके साथियों का पता लगाया जा रहा है। पूछताछ में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि 10 दिन का बच्चा किसका है।

गुरुवार को राणीसती गेट के सामने से महिला शिल्पा तेलंग और उसके साथी बबलू पिता हेमराज निवासी जीवन की फेल को बच्चे बेचने के लिए ग्राहक ढूंढते समय गिरफ्तार किया था। इन दोनों की शिकायत फर्टिलिटी सेंटर (इवा वेलफेयर आर्गनाइजेशन) की अध्यक्ष भारती सिंगारे की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद महिला पुलिस ने अमित पिता मदन हाड़ा निवासी खंडवा रोड, रीता पति हरीशसिंह ठाकरे निवासी अम्बेडकर नगर तथा मधु उर्फ मेहराज बी पिता युसूफ खान निवासी मालवा मिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रीत के घर से दो माह तथा दो साल के बच्चे को भी बरामद किया है। रीत का कहना है कि दोनों बच्चे उसके हैं। रीत के बयान पर पुलिस उसका और पति हरीश का डीएनए कराएगी। कुछ माह पहले रीत एमवाय में नर्सिंग का काम करती थी। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ में अनेक खुलासे होंगे।

किराया मांगा तो किया पथराव

इंदौर। एक युवक को अपनी गाड़ी का किराया मांगना महंगा पड़ गया जिस युवक को किराया देना था उसने रास्ता रोके वाँ कवाड पत्थर से हमला कर फरियादी को घायल कर दिया। मामला राजेंद्र नगर इलाके के अमृत होटल के पीछे का है। फरियादी अखिलेश यादव ने बताया कि आरोपी कमाल ने कल उसे पत्थर मारकर घायल किया। दरअसल अखिलेश गाड़ी चलाता है। कमाल ने पिछले दिनों उसकी गाड़ी किराए पर ली थी जिसका आरुह तो तय किराया कमाल नहीं दे रहा था। अखिलेश ने कल किराए का आरुह तो पाया मांगे तो आरोपी उसे गालियां देने लगा गया। फरियादी ने आपत्ति करने से रोका तो आरोपी ने पत्थर उठाकर उस पर हमला कर दिया।

शिवसेना नेता की हत्या का मामला ...

एक आरोपी पहले भी कर चुका है हत्या

इंदौर। शिवसेना नेता की हत्या और होटल पर डकैती डालने वाला मुलजिम धार में भी सुपारी लेकर हत्या कर चुका है। क्राइम ब्रांच को शक है कि इस गिरोह ने और भी वारदातें की है।

उमरीखेड़ा में नाईनानाइस ढाबे पर शिवसेना नेता रमेश साहू की हत्या की गई थी और जेवर लूट लिए थे। क्राइम ब्रांच ने सात मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। इनमें सरगना प्रेमसिंह है। उसी ने साहू को गोली मारी थी। प्रेमसिंह ने कबूला है कि धार में व्यापारी की पत्नी से उसके परिचित की दोस्ती थी। व्यापारी को ये बात पता चल गई थी। उसकी पत्नी परिचित के साथ आती-जाती है। व्यापारी ने पांच लाख रुपए में परिचित की सुपारी दी थी। प्रेमसिंह ने उसको धार में घुसकर फालिये से मार दिया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मुलजिम को गिरफ्तार किया था। फिलहाल जमानत पर है।

क्राइम ब्रांच का मानना है कि प्रेमसिंह गिरोह ने और भी वारदातों की हैं। इंदौर की डकैतियों और लूट के मामले में पूछताछ की जा रही है। एक मुलजिम वेलसिंह फरार है। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच का दल अलग-अलग जगह गया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि धार पुलिस ने डकैती और साहू की हत्या के मामले में दस्तावेज भेजे जाएंगे।

तीसरी मंजिल से गिरने से महिला की मौत

इंदौर। मल्हारगंज इलाके में एक महिला की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई । पति के अनुसार वह सफाई कर रही थी उसी दौरान नीचे गिर गई। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

दरअसल इतवारिया बाजार मोती महल में रहने वाली रेखा पति मनोज जैन को कल गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। रात को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया । पति मनोज के अनुसार परिवार के लोग घर के निचली मंजिल पर थे, वह सामान लेने बाजार गए हुए थे । रेखा घर की ऊपरी मंजिल पर सफाई कर रही थी । वह नीचे कैसे गिरी इसके बारे में पति नहीं बता पाया । रेखा हादसे की शिकार हुई है या किसी साजिश के तहत उसे गिराया गया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले ही रेखा के देवर की भी मौत हुई है।

बिजली के उपकरण चोरी

इंदौर। प्राइम सिटी सुखलिया नगर में रहने वाले पवन पिता सुरेशचंद्र गौर ने गांधीनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बिजली का कामकाज है और उसकी साइड नैनौद में चल रही है। कुछ अज्ञात चोर ग्राम नैनोद से नावदा रोड की साइड से बिजली लाइन के उपकरण चोरी कर ले गए। वहीं ये चोर लाइन पर लगा पूरा मटेरियल, कुछ नए पोल, नये बी क्रांस, पिन इंसुलेटर, नये चैनल, नये वायर भी ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध

धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 11 सितम्बर,2020 से प्रभावशील होकर 8 नवम्बर, 2020 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फैसबुक, वाट्स एप इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक आदि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील वृत्त जावर

इस्तिहार

रा.प्र.क्रं. 129/अ-6/2020-21

मौजा - ढोढ़वाड़ा

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सुनिता बाई पति गिरधारी निवासी ग्राम ढोढ़वाड़ा राजस्व निरीक्षक मंडल वृत्त जावर की भूमि खसरा नंबर 197, 427, 429, 200, 230 रकबा क्रमशः 0.01, 0.30, 0.06, 0.01, 0.34 हेक्टर भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें विक्रेता छत्रसिंह तर्फ भगवानसिंह पिता शोभाजी एवं क्रीमती देवकीबाई पति श्री बाबूलालसिंह दोनों निवासी ग्राम ढोढ़वाड़ा तहसील खंडवा के विरुद्ध उनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके वैध वारसानों से कैलाश पिता छत्रसिंह द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर नामांतरण हेतु सहमति दी है किंतु अन्य वारसान पृथ्वीसिंह पिता छत्रसिंह की मृत्यु होना एवं लखनसिंह व विक्रमसिंह पिता छत्रसिंह का कोई अता पता होना नहीं बताया गया है। उक्त नामांतरण के संबंध में यदि किसी पक्ष को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की दिनांक से 21 दिनों के अंदर इस न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज करावे। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

नायब तहसीलदार

वृत्त जावर, खंडवा (म.प्र.)

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रशीद बेग पिता नूर बेग ने अपने भूस्वामी स्वतः व आधिपत्य की ग्राम महानिया तह. व जिला शाजापुर म.प्र. स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 56/2/1 रकबा 0.03 2/10 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 57/2/1 रकबा 0.33 लगान 3 रुपए 15 पैसे है तथा श्रीमती फैमीदा बी पति रशीद बेग ने अपनी भूमि स्वामी स्वतः व आधिपत्य की ग्राम महानिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 56/1/2 रकबा 0.05 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 57 1/2 रकबा 0.46 लगान 3 रुपए 93 पैसे को मेरी पक्षकार श्रीमती नीना नामा पति श्री अनिल नामा निवासी 115 हिलरेंज विलास एसआयबी रोड राची बावली हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) को विक्रय करने का विक्रय अनुबंध किया है। जिसके पालन में मेरे पक्षकार के हित में उक्त भूमिस्वामियों से उसकी उक्त भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन होना है।

अतः जिस किसी को मेरे पक्षकार द्वारा उक्त भूमि के भूमि स्वामियों से किये गये विक्रय अनुबंध के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन से पंद्रह दिवस की अवधि में मेरे कार्यालय में स्वयं आपत्ति व आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज सहित उपस्थित होकर आपत्ति का अवलोकन करावर आपत्ति के अवलोकन की रसीद प्राप्त करें अथवा आपत्ति एवं आपत्ति के दस्तावेज सहित पंजीकृत डाक द्वारा मेरे पते पर भेजे, अन्यथा उक्त अवधि गुजर जाने के उपरांत मेरी पक्षकार अनुबंध के पालन में उक्त भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में उक्त भूमि भूमिस्वामियों से करवालेगी।

दिनांक- 09/2020

हस्ताक्षर

प्रफुल्ल कुमार शर्मा (एडवोकेट)

5 भट्ट, मोहल्ला शाजापुर म.प्र.

मोबाइल नं. 98266-77520

कार्यालय ग्राम पंचायत डोईफोडिया जनपद पंचायत खकनार

आम सूचना

दिनांक

10/09/2020

आम जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डोईफोडिया की बस स्टैंड पर पूर्व निर्मित दुकान नम्बर 3,4,5,7,13,15,17 दुकान भवन एवं कैंटीन दुकान की नीलामी दिनांक 15/09/2020 दिन मंगलवार समय 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन पर नीलामी की कार्यवाही की जावेगी, उक्त दुकान नीलामी में धारा लेने हेतु निविदा दिनांक /समय व स्थान पर उपस्थित रहने का कष्ट करें अतः आम जनता को सूचना प्रस्तुत है।

नोट- 1. बोली लगाने पूर्व राशि 30,000/- तीस हजार रूपये जमा कर बोली लगाने का अधिकार रहेगा। 2. बोली निश्चित होने पर आधी राशि उसी समय जमा करना होगा एवं आधी राशि एक माह के अंदर जमा करना होगा अन्यथा नीलामी निरस्त की जावेगी। 3. पूर्व के बकायादार को बोली लगाने का अधिकार नहीं रहेगा। 4. समस्त ठेकेदारो को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 5. सर्वोच्च बोली लगाने वाले को ठेका आवंटित किया जायेगा। 6. दुकान नीलामी संबंधी शर्तें कार्यालयीन समय पर देखने हेतु उपलब्ध होगी।

मनिराम प्रवेश गिरावरे
ग्राम पंचायत डोईफोडिया

सरपंच गिलुबाई चेडिया
जनपद पंचायत खकनार

GORANI INDUSTRIES LIMITED

Regd. 32-33, Sector-F, Sanwer Road, Indore (M.P.).
CIN- L28121MP1995PLC009170, website- www.goraniindustries.com
email-id- gorani.industries@yahoo.com, Telephone No.- 0731-2723201, Fax- 2723200

Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020 (Rs. in Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended (Audited)
1	Total Income from Operations	149.18	503.62		2143.12
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items#)	(20.09)	23.32		90.88
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(20.09)	23.32		90.88
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(14.73)	17.26		84.91
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(14.73)	17.26		57.76
6	Equity Share Capital	487.51	487.51		487.51
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	-	-		22.52
8	Earnings per share (in Rs.) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (a) Basic (b) Diluted	(0.30)	0.35		1.33

Note:-
A. As per Government directives, the Company suspended operations of its facilities w.e.f. 23rd March, 2020 in the wake of the Covid-19 Pandemic. Operations were resumed on 22nd May, 2020 taking cognizance of the Governments advisories resuming manufacturing activities and after obtaining necessary permissions in this behalf. Disruption in operations as a result of the aforesekt; have impacted business performance during the quarter. Looking to the past track of the Company and as per the current market conditions the company estimates good business growth in remaining period of the financial year.
B. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company's Website www.goraniindustries.com.
C. The impact on net profit/(Loss), total comnehensive income or other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of a foot note. N.A.
D. # - Exceptional items adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS Rules.

For & On Behalf of the Board

Places: Indore — Anil Gorani - (Whole Time Director) - DIN: 00065540
Date: 11.09.2020 — Sanjay Gorani (Managing Director) - DIN: 00065531

महू में पाजिटिव केस 1203 हुए

51 नए केस फिर मिले, मौत का आंकड़ा भी 49 पर पहुंचा

महू। महू विकासखंड में मरीजों का मिलना जारी है, शुक्रवार को भी तेजी से आंकड़ा बढ़ा और अब संक्रमितों की संख्या 1203 पर पहुंच गई है। इधर प्रशासन के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग सतत जांच व सैंपलिंग प्रक्रिया में जुटा है।

शहर से लेकर अंचल तक महामारी अपना रंग दिखा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद तीव्र गति से बढ़ता आंकड़ा आने वाले दिनों का खतरा बयां कर रहा है, लिहाजा लोगों को चाहिए सोशल डिस्टेंस, मास्क आदि के मामले में बेहद एतिहयात बरते। शुक्रवार को फिर 51 मरीज सामने आए। जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 1203 पर पहुंच गया। जबकि शुक्रवार जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 2 मौत भी जोड़ी गई। जिससे संक्रमण से मौत का आंकड़ा 49 पर पहुंच गया। इसमें एक मौत 10 सितंबर को यादव मोहल्ला निवासी की तथा एक मौत शुक्रवार को किशनगंज निवासी व्यक्ति की जोड़ी गई।

पहली बार 82 मरीज स्वस्थ्य हुए - कोरोना वायरस महामारी जिस तेजी बढ़ रहा है। उसी तेजी से अब संक्रमितों के स्वास्थ्य में सुधार भी आ रहा है। शुक्रवार को पहली बार एक साथ 82 मरीज स्वस्थ्य होकर लौटे। इसके साथ ही अब तक 809 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ्य हो चुके है। हालांकि अभी भी 345 मरीजों का उपचार जारी है।

शनिवार, रविवार व सोमवार स्वेछिक लाक डाउन?- प्रशासन की पहल पर स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने तीन दिनी स्वेच्छिक लाक डाउन पर सहमति दी है, हालांकि इसे लेकर व्यापारियों में ही खुलकर दो फाड़ नजर आ रहा है, लिहाजा इस पर कितनी सक्सेस होगी आज सामने आ ही जाएगा। इधर अधिकांश दुकानदारों का मानना है कि विकासखंड में दर्जनों तरह के व्यापार व प्रतिष्ठान, दुकाने, अस्थाई, फेरी, खोमचे आदि के माध्यम से रोजी रोटी की जुगत की जाती है। अधिकांश मध्यम व गरीब वर्ग है, और उनका अपना मजबूत संगठन या एसोशिएशन भी नहीं है, जिन लोगों ने इस निर्णय की हामी भरी है उनमें से अधिकांश पूंजीपति व संपन्न कारोबारी है। जबकि खासकर शहर व आस - पास छोटे छोटे व्यापारियों से ही बाजार की गति खलती है। ऐसे में कोई भी सहमति या असहमति के लिए सभी को साथ लेकर विश्वास में लेना था और फर निर्णय।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड नगर पालिक निगम उज्जैन

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खण्ड नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु आन लाइन निविदाओ का आमंत्रण लोक निर्माण विभाग में सी श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी एसओआर दिनांक 10.5.2012 से प्रतिशत आधार पर एवं आईटम रेट आधार पर किया जाता है।

नि.स. क्र.	प्रपत्र का प्रकार	कार्य का विवरण	कार्य की अनु. लागत	प्रतिभूति राशि	आन लाइन निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	निविदा क्रय की अंतिम तिथि	दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
2020_UAD_105992_1	2.10	गंभीर लाईन सेक्सन के अंतर्गत विभिन्न टंकी क्षेत्र में पाईप लाइन स्लूज वाल्व संधारण संचालन कार्य।	4013495/-	50000/-	5000/-	12 माह	29.9.2020	29.9.2020
2020_UAD_106052_1	2.10	वार्ड क्र. 11 व 48 में बुस्टर मोटर पंप सेट प्रदाय व स्थापना कार्य।	169788/-	3400/-	1000/-	1 माह	29.9.2020	29.9.2020

निविदा संबंधित अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा सूचना नगर पालिक निगम उज्जैन की वेबसाइट https://umcujjain.mpeprocurement.gov.in पर आनलाइन दर्शाई गई है।

कार्यपालन यंत्री
लो.स्वा.यां.संधा खंड न.पा.नि.उज्जैन

आयुक्त
नगर पालिक निगम उज्जैन